न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर इजराय / 01 / 2018 तारीख रजु 05.07.2018

उनवान

1. मंगली बेवा चौथी वगै0 जाति जाटव निवासी जटनंगला तह0 हिण्डौन जिला करौली

-----सायलान 04

बनाम

1. भीम पुत्र बत्तू वगै0 जाति गुर्जर निवासी नाहर खोहरा हाली वासी ताली तह0 मासलपुर जिला करौली

-----प्रतिवादीगण 02

उपस्थितिः–
सायलान की ओर से :– कोई उपस्थित नही।
गैरसायलान की ओर से :– कोई उपस्थित नही।

निर्णय दिनांक 16.12.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि सायल की ओर वकालतन एक इजराय ग्राम जटनंगला तहसील हिण्डोन के खसरा नंबर 113, 114 में इजराय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिए नोटिस तलब किया।

प्रकरण में न्यायालय की डिक्री दिनांक 04.06.2018 की तहसीलदार हिण्डौन से पालना रिपोर्ट ली गई मुताबिक रिपोर्ट वादीगण द्वारा उक्त भूमि का बेचान किया जा चुका है। पालना रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया की प्रकरण में न्यायालय हाजा के डिक्री आदेश दिनांक 04.06.2018 की पालना रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त हुई मुताबिक रिपोर्ट वादीगण द्वारा उक्त भूमि का बेचान किये जाने का तथ्य अंकित किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय हाजा के डिकि आदेश दिनांक 04.06.2018 की अनुपालना की जा चुकी है।

अतः वादीगण का इजराय मुकदमा नंबर **01 / 2018 श्री मंगली वगै0 बनाम भीम वगै0** में कोई अनुपालना शेष नहीं होने के कारण प्रकरण का निस्तारण किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी जिला करौली

SUB DIVISIONAL MAGISTRATE
अदालत सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट
हिण्डौन
HINDAUN

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2019.12.31 18:19:32 IST
Reason: SelfAttested